

सं. 13017/06/2007 अ.भा.से.(1)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिवायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली  
दिनांक 29 जुलाई, 2010

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त सक्तिर्यो का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, श्री सुखबीर सिंह सन्धू, भा.प.से. (उत्तराखण्ड:88) को उत्तराखण्ड संवर्ग से पंजाब संवर्ग में अन्तर-संवर्ग प्रतिनियुक्ति को जुलाई 2010 से आगे दो महीनें अर्थात सितम्बर 2010 तक के लिए एक विशेष मामले के रूप में बढ़ाने का अनुमोदन देती है।



(आर.के.गुप्ता)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष 23093063

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)